

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./18/2023

1. पोखर पुत्र गोड़ा जाति नायक निवासी मथानिया तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. आबू पुत्र सुखदेव जाति नायक निवासी मथानिया तहसील भिनाय केकड़ी
2. किशना पुत्र लादू जाति नायक निवासी मथानिया तहसील भिनाय केकड़ी
3. श्रवण पुत्र विशना जाति नायक निवासी मथानिया तहसील भिनाय केकड़ी
4. राजू पुत्र विशना जाति नायक निवासी मथानिया तहसील भिनाय केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर



अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम
उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- धर्मवीर बामनिया
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:-14.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा मथानिया पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 77 में दर्ज खसरा नं. 192 रकबा 0.44 और खसरा नं. 193 रकबा 0.37 है0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.81 है0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 04 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 05 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 04 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 01 लगायत 05 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अगल में लाई गई। पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित ना होने की टिप्पणी अंकित की। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम मथानिया के खाता खंख्या 77 संवत् 2071-2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा मथानिया पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 77 में दर्ज खसरा नं. 192 रकबा 0.44 और खसरा नं. 193 रकबा 0.37 है0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.81 है0 हेतु नायब

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

तहसीलदार भिनाय को 1000/- रु(एक हजार रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगद्दी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
भिनाय (केकड़ी)